न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 73/16 **निर्णय दिनांकः—21.08.2018**

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्व. द्वारकादास जाति ब्राहमण निवासी साले की होली, तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—01—1977 व 27—05—1983
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31—01—1977 व 27—05—1983 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटा के पति को आवंटन सलाहकार समिति की राय से तहसील कोलायत में चक 16 केवाईडी में मुरब्बा नम्बर 116/48 में किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 22 ता 25 में 11 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 117/33 के

किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 21 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन आदेश भी जारी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव मेंखारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलांट आज भी किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 18—08—1982 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि वह आवंटित भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है।

इस संबंध में आवंटन अधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर व कब्जे काश्त की रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त है व अपीलांट आज भी बकाया राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—1977 व 27—05—1983 के विरूद्व

अपील दिनांक 04—07—16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है व वादगत् भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—1977 व दिनांक 27—05—1983 को पारित किये गये है। जिसके विरूद्व अपील 04—07—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से तहसील कोलायत में चक 16 केवाईडी में मुरब्बा नम्बर 116/48 में किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 22 ता 25 में 11 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 117/33 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 21 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के भूमिहीन आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 18—01—1976 व दिनांक 17—01—1977 को नोटिस जारी किया गया कि उनके द्वारा मौके पर आवंटन पश्चात् चक में आबाद होकर काश्त नहीं किया गया है ना ही

आज तक बकाया किश्तों का भुगतान किया गया है। अतः नोटिस अन्तर्गत धारा 14 राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 द्वारा सूचित किया जाता है कि क्यों न आपका आवंटन निरस्त कर दिया जावे। इस संबंध में दिनांक 21—01—1977 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(4) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु बकाया किश्तों की राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा करवाने व मौके पर आबाद होकर काश्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन आवंटन विधि सम्मत तरीके से खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

(5) प्रकरण में अपीलांट का कथन कि उसके द्वारा दिनांक 18—08—1982 को अदालत मातहत के समक्ष बकाया किश्तें जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर रिपोर्ट प्राप्त की गई व उक्त रिपोर्ट में अपीलांट का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31—01—1977 को ही अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में राजस्थान उपनिवेशन(रा.न.यो.) क्षेत्र में राजकीय भूमि का विक्रय एवं आवंटन नियम, 1975 की धारा 17 (8) का उल्लंधन मानते हुए खारिज किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त खारिजी आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं करते हुए अदालत मातहत के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए किश्तें जमा करवाने का कथन किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादगत् भूमि अन्य को आंवटित होने के कारण उक्त रकबा पुनः बहाल नहीं किये जाने का कथन करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 31—01—1977 व 27—.5—1983 यथावत बहाल रखे जाते हैं।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर